

## आहरण एवं वितरण अधिकारी/

अपर निदेशक(प्रशा0)

पंचायतीराज निदेशालय,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कृपया विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 शासनादेश संख्या-27/2020/बी-2-135/दस-2020-2/2019 दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिये वर्ष 2020-21 में प्राविधानित धनराशि रु0 620000.00 लाख में से रु. 516.67 करोड़ की धनराशि अवमुक्त की गई है। उक्त धनराशि में से शासनादेश संख्या-1880/33-3-2020-40/2020 दिनांक 01 अगस्त, 2020 के पैरा-2 के अनुसार कोविड-19 की रोकथाम व आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित हेतु मु. 14950.00 लाख की धनराशि जिला स्वास्थ्य समितियों को अवमुक्त किया गया है। इस प्रकार शेष धनराशि रु0 36717.00 लाख के सापेक्ष त्रिस्तरीय पंचायतों को धनराशि निम्नानुसार जिला पंचायतों/क्षेत्र पंचायतों/ग्राम पंचायतवार अवमुक्त किया जाना है:-

(धनराशि लाख में)

मद	शासनादेश दिनांक 13 जुलाई, 2020 द्वारा अवमुक्त	पूर्व में जिला स्वास्थ्य समितियों को आवंटित धनराशि	अवशेष धनराशि (2-3)	प्रिंट प्रशिक्षण संस्थान हेतु 0.15 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	पंचायतीराज संस्थाओं हेतु अवशेष धनराशि (4-5)	जिला पंचायतों हेतु परिक्रमी निधि की 01 प्रतिशत धनराशि आवंटित की जा रही है।	आवंटित की जा रही धनराशि (6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
जिला पंचायत	-	-	-	-	5499.288	54.993	5444.295
क्षेत्र पंचायत	-	-	-	-	5499.288	-	5499.288
ग्राम पंचायत	-	-	-	-	25663.344	-	25663.344
योग-	51667.00	14950.00	36717.00	55.08	36661.920	54.993	36606.927

उपयुक्त धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन आवंटित की जा रही है-

- 1- आवंटित की जा रही धनराशि का आहरण कर सीधे जिला पंचायतों क्षेत्र, पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।
- 2- पंचायतीराज संस्थाओं हेतु आवंटित की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर किसी भी दशा में निदेशक, पंचायती राज, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी।
- 3- कोषागार से धनराशि आहरित कर सीधे सम्बन्धित जिला पंचायतों क्षेत्र, पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों के खाते में जमा की जायेगी।
- 4- योजना प्रभारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिला पंचायतों क्षेत्र, पंचायतों तथा ग्राम पंचायतों का बैंक खाता तथा आई0एफ0एस0सी0 कोड, जिसमें धनराशि जमा की जा रही है, वह सही है।
- 5- धनराशि का आहरण एक सप्ताह के भीतर आहरण की सूचना, बाउचर संख्या दिनांक सहित पंचायतीराज अनुभाग-3 उ0प्र0 शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।




6- आवंटित की जा रही धनराशि का उपयोग केवल उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये धनराशि आवंटित की रही है। इस धनराशि से किसी प्रकार का व्यावर्तन/समायोजन अनुमन्य नहीं होगा।

7- योजना प्रभारी आवंटित धनराशियों के नियमानुसार उपयोग की समीक्षा करेंगे तथा उसके समुचित उपयोग के लिये उत्तरदायी होंगे।

उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक की अनुदान सं0-61 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाशीर्ष "3604-स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन-198-ग्राम पंचायतों को सहायता-03-राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत समनुदेशन-01 सामान्य समानुदेशन-28 समनुदेशन"के नामे डाला जायेगा।

प्रमाणित किया जाता है कि यह आवंटन निदेशालय के आवंटन रजिस्टर के पृष्ठ सं0-79 पर अंकित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

  
(किंजल सिंह)


निदेशक,

पंचायतीराज उ0प्र0।

सख्या-1/शा0/06/1/2020 तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अपर मुख्य सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. विशेष सचिव, वित्त संसाधन(वित्त आयोग) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
3. विशेष सचिव, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 उ0प्र0 शासन के पत्र दिनांक 13.07.2020 के क्रम में।
4. निदेशक पंचायतीराज (लेखा) दसवों तल, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5. संयुक्त निदेशक, प्रिट लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
6. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उ0प्र0।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उ0प्र0।
8. समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पं0), उ0प्र0।
9. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
10. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम उ0प्र0 प्रयागराज।
11. वरिष्ठ उपमहालेखाकार स्थानीय निकाय (लेखा परीक्षा एवं लेखा), चौथा तल, 15-1 दयानन्द मार्ग, सत्यनिष्ठा भवन, उ0प्र0 प्रयागराज-211001
12. उपनिदेशक (पं0)/योजना प्रभारी, राज्य वित्त आयोग, पंचायतीराज निदेशालय, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित है कि तत्काल पंचायतीराज संस्थाओं के खातों में पी0एफ0एम0एस0 के माध्यम से धनराशि हस्तान्तरण कराना सुनिश्चित करें।
13. उपनिदेशक, जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ, लोहिया भवन, अलीगंज लखनऊ।
14. एस0पी0एम0यू0, पंचायतीराज निदेशालय को इस आशय से प्रेषित कि उक्त आवंटन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करें।



(ब्रजेश कुमार)

मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी,

पंचायती राज उ0प्र0।